न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 46/2020

GCMS NO. : 2020/00103

–:: प्रार्थीगण ::–	बनाम	–:: अप्रार्थीगण ::–
1. सोहनलाल पुत्र भन्नाराम 2. लालाराम पुत्र भन्नाराम 3. गुमानसिंह पुत्र भन्नाराम 4. मनोहरराम पुत्र भन्नाराम 5. महेन्द्र पुत्र पांचाराम जातियान बावरी निवासीगण हुनावास कलां तहसील जैतारण।		1. चैनाराम पुत्र घेवरराम 2. श्रवण पुत्र तेजाराम जातियान जाट निवासीगण हुनावास कलां तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 20/08/2020

उपस्थितः. 1. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थी।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तहत् इस आशय का पेश किया कि सायलान के पिता भन्नाराम पुत्र हिमताराम ने दिनांक 02/07/2003 को खातेदारो को पटवार हल्का गरनिया ग्राम हुनावास कलां मे उगमसिंह पुत्र छैलसिंह, अर्जुनसिंह पुत्र छैलसिंह, मांगुकंवर पत्नि मदनसिंह जातियान राजपुत से खसरा नम्बर 191 रकबा 7 बिघा 5 बिस्वा कृषि भूमि मे से 5 हजार रूपये प्रति बिघा के हिसाब से 20,000 हजार रूपये रोकड देकर 4 बिघा कृषि भूमि खरीद की व कब्जा प्राप्त किया जिसकी लिखापढी भी की गयी थी जिस पर खातेदार उगमसिंह व अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर भी है उक्त इकरारनामे कि प्रति दावे के समक्ष पेश है। सायलान का उक्त कृषि भूमि पर खरीद से लेकर आज दिनांक तक लगातार कब्जा चला आ रहा है बैचानकर्ता ने मौके पर सायलान के पिता को मौके पर कृषि भूमि का माप चौक कर कब्जा दिया था सायलान के पिता के जीवनकाल से लेकर आज दिन तक सायलान उक्त कृषि भूमि को शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग लेते आ रहा है एवं काश्त करते आ रहें है इस वर्ष भी सायलान की मौके पर उक्त आराजी मे तिल्ली की फसल बोई हुई है सायलान का 17 वर्षो से लगातार कब्जा व काश्त चला आ रहा है। सायलान के पिता भन्नाराम के देहान्त के बाद सायलान का हि लगातार कब्जा व कास्त चला आ रहा है सायलान संख्या 1 से 4 सरकारी नौकरी मे होने से अधिकतर जहां उनकी पोस्टींग है वही निवास कर रहे सायलान 1 से 4 अपने गांव में पुश्तैनी प्रोपर्टी एवं पिता के द्वारा खरीद सुदा प्रोपर्टी की देखभाल व बौने हेतु सायलान संख्या 5 महेन्द्र को सुपूर्द कर रखी है

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

महैन्द्र ही भन्नाराम की चल व अचल सम्पति का उपयोग व उपभोग कर रहा है महेन्द्र सायलान संख्या 1 से 4 का सगा भान्जा है जो लगातार जन्म से ही गांव हुनावास कलां मे ही निवास कर रहा है। दावे मे बतायी गयी खसरा नम्बर 191 की कृषि भूमि मे सायलान का चार बीघा कृषि भूमि कब्जा व कास्त चला आ रहा है गैरसायलान दिनांक 15.07.2020 को सायलान को धमकी दी की उक्त विवादीत आराजी की हमने रजिस्ट्री करवा ली है जो सन् 2014 मे करवाई है उक्त कब्जा शान्ति पूर्वक हमे दे दे अन्यथा गैरसायलान ने लाठी के बल पर कब्जा करने की धमकी दी तब सायलान संख्या 5 महेन्द्र ने अपने मामा को फोन कर इत्तला देकर उक्त बात बताई तब सायलान ने उक्त कृषि भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तब पता चला की उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि का बेचान हो चुका है गैरसायलान पुलिस की मिली भगत से भी कब्जा प्राप्त करना चाहता है जबकी मौके पर 4 बिघा कृषि भूमि मे सायलान का कब्जा काश्त सायलान की उक्त कृषि भूमि पर तारबन्दी भी की हुई है जबकी सायलान के पिता व नाना जब उक्त कृषि भूमि दिनांक 02/07/2003 को खरीद की थी उसी दिन से लेकर आज दिन तक कब्जा व काश्त लगातार 17 वर्षो से चला आ रहा है उक्त आराजी 4 बीघा कृषि भूमि का मालिक सायलान ही है। सायलान का लगातार 17 वर्षो से शान्ति पूर्वक बिना किसी रोक टोक के खसरा नम्बर 191 कि 4 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा एवं काश्त लगातार चला आ रहा है इसलिए भी सायलान का उक्त कृषि भूमि पर हक हकुक व कब्जा है इसलिए उक्त 4 बीघा आराजी के मालिक सायलान ही है। विवादीत आराजी पर गैरसायलान का खरीद से लेकर आज दिन तक कभी भी कब्जा व कास्त नही रहा है गैरसायलान को सायलान के द्वारा विवादीत आराजी की खरीद का व कब्जा कास्त होने का ज्ञान होते हुए भी बाले-बाले खरीद की है जो कानून गलत रूप से खरीद कि गई जबकी बैचान कर्ता का भी बैचान के वक्त उक्त 4 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा ही नही था फिर भी बाले-बाले गलत रूप से रजिस्ट्री बैचान गलत रूप से लिखा गया है जो काबिले निरस्त के है क्योकि सायलान का 17 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है सायलान ही उक्त विवादीत आराजी के कब्जा होने से एक मात्र अपना हक हकुक रखते है अगर सायलान को पुलिस कि मिली भगत से व लाठी के बल से बेदखल किया जाता है तो सायलान को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर सम्भव नही होगी व विविद प्रकार कि मुकदमा बाजी होगी इसलिए सायलान की और से यह प्रार्थना-पत्र घोषणा व अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् की सेवा मे पेश किया जा रहा है अगर सायलान शान्तिप्रिय व्यक्ति है एवं कानून मे विश्वास रखते है गैरसायलान संख्या मे अधिक होने से लाठी के बल पर उक्त विवादीत भूमि का कब्जा कर लिया जाता है तो झगडा फसाद होगाा व विवाद बढेंगे व सायलान को काफी असीम क्षति होगी व [illegible] आंकी जा सकेगी इसलिए सायलान श्रीमान कि सेवा मे घोषणा [illegible] का वाद मजबुरीवश पेश कर रहा है ताकि सायलान अपने [illegible] के जरिए कर सके। गैरसायलान जाट समुदाय से है गैरसायलान को राजनी[illegible] व पुलिस का भी पूर्ण सहोयग प्राप्त

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

है इसी के बल पर गैरसायलान सायलान को कब्जा देने कि बार–बार धमकी दे रहे है सायलान का राजनैतिक व पुलिस से कोई लेना–देना नही है सायलान को बार–बार कब्जा देने कि धमकी पुलिस भी दे रही है सायलान को जेल में डालने कि व झूठे मुकदमो मे फसाने कि भी धमकि दी गई है इसलिए सायलान मजबुरी वश उक्त वाद श्रीमान कि सेवा मे पेश किया जा रहा है। समस्त तथ्यो, परिस्थितियो एवं दस्तावेजो से प्रथम दृष्टिया मामला सायलान के पक्ष मे साबित है तथा मौके पर कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग से सुविधा का सन्तुलन भी हर दृष्टिकोण से सायलान के पक्ष मे है यदि गैरसायलान् ने अवैध व गैरकानूनी दस्तावेज के आधार पर उक्त भूमि का आगे किसी अन्य को बैचान हस्तान्तरण रहन वसीयत आदि कर दिया तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायलान अपने जायज हक हकुको व अधिकारो से हमेशा–हमेशा के लिए महरुम हो जायेगा तथा विविध प्रकार कि मुकदमेबाजी होगी इसलिए इनत माम परिस्थितियो मे सायलान के पास उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का सायलान की और से विरुद्ध गैरसायलान के श्रीमान के समक्ष पेश है। अतः शपथ–पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र संख्या एक व दो सायलान के कब्जे कास्त मे कोई बाधा व रुकावट नही करे तथा सायलान को बेदखल नही करे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा के मूल वाद अन्तिम निस्तारण तक रोका जावे तथा दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थना सायलान को गैरसायलान व अन्य उक्त्त भूमि से बेदखल कर कब्जा कर लेवे तो पुनः कब्जा दिलाया जावे तथा दौराने प्रार्थना उक्त भूमि का हस्तान्तरण कर देवे तो उसे निरस्त करावे। वर्तमान मौके एवं रेकार्ड की स्थिति को यथावत् रखी जावे तथा अन्य कोई अनुतोष सायलान के पक्ष मे ही दिलाया जावे।

इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 2 के विरुद्ध बावजूद सम्मन सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो सा.मि. है। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। बल्कि राजस्व मौजा हुनावास कला पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 191 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि जवाब देहन्दागण चौनाराम व अन्य की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा एवं हक अधिकार है तथा भूमि के पूर्ववर्ती खातेदारो से बऐवजाने प्रतिफल की राशि जवाब देहन्दागण ने उक्त भूमि खरीद कर [illegible] बेचाननामा पंजीबद्ध करवाया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त किया [illegible] खरीद से ही भूमि जवाब देहन्दागण के हक अधिकार में [illegible] प्रकार से इस भूमि के चारो तरफ जवाब देहन्दा चौनाराम द्वारा जोधपुर [illegible] पट्टिया खड़ी करवाकर तारबन्दी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हुई है तथा चौनाराम स्वयं द्वारा लोहे का गेट लगाया हुआ है जिसके मौका स्थिति के फोटोग्राफ भी इस जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इस प्रकार से सायलान इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 191 की भूमि से आउट ऑफ पजेशन होने से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकार नही है। कि सायलान ने अपने इस प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार बैचान इकरारनामा दिनांक 02.07.2003 को बनाया है। जबकि सायलान द्वारा बताये गये तथाकथित बैचाननामा दिनांक 02. 07.2003 में बताये गये विक्रेतागण को प्रार्थना पत्र पक्षकार नही बनाया गया है। इसलिये प्रोपर व आवश्यक प्रार्थना पत्र पक्षकार के अभाव में भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। कि सायलान की ओर से प्रस्तुत बैचान इकरारनामा दिनांक 02.07.2003 के आधार पर सायलान को इस प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि पर कोई स्वामित्व व हक अधिकार प्राप्त नही होते है। विधिक प्रावधानो अनुसार सायलान को इस इकरारनामा की पालना हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाही थी। जो कि सायलान ने नही की है। इस प्रकार से बैचान इकरारनामा दिनांक 02.07.2003 के आधार पर सायलान इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही हो जाते साथ ही अदालत श्रीमान को इस प्रकरण में किसी भी प्रकार का अनुतोष देने बाबत श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार भी प्राप्त नही होने से सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 191 का जवाब देहन्दा चौनाराम रेकर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अजनबी व्यक्ति के रूप में तृतीय पक्षकार किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। कि सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 02.07. 2003 में वर्णित इकरारनामा निष्पादन से लगभग 17 वर्ष अवधि बाद सायलान ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया है । इसलिये म्याद के आधार पर भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें। इस प्रकार से प्रार्थना पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित सभी तथ्य असत्य झूठे व निराधार है साथ ही सायलान की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय उगम सिंह, अर्जुन सिंह, मांगू कंवर आदि का इस विवादित खसरा नम्बर 191 से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही रहने से भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल खारिज होने से खारिज किया जावें। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठा व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। बल्कि राजस्व मौजा हुनावास कला पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण [illegible] खसरा नम्बर 191 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी [illegible] देहन्दा चौनाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर [illegible] का ही कब्जा एवं हक अधिकार है तथा भूमि के पूर्ववर्ती खातेदार से बऐवजाने प्रतिफल की राशि जवाब

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

देहन्दागण ने उक्त भूमि खरीद करते हुये बैचाननामा पंजीबद्ध करवाया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार से वक्त खरीद से ही भूमि जवाब देहन्दागण के हक अधिकार में चली आ रही है। इस प्रकार से सायलान इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरा 191 की भूमि से आउट ऑफ पजेशन होने से स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पाने के अधिकार नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान महेन्द्र का कब्जा काश्त है। साथ ही महेन्द्र एवं सायलान के बीच क्या पारिवारीक सम्बन्ध है इस बाबत जवाब देहन्दागण को कोई जानकारी नही है। सायलान के सरकारी नौकरी में होने से भी इस विवाद का कोई सम्बन्ध नही है। बल्कि राजस्व मौजा हुनावास कला पटवार हल्का गरनिया तहसील जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 191 रकबा 07 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी दोयम की भूमि जवाब देहन्दा चौनाराम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर जवाब देहन्दागण का ही कब्जा एवं हक अधिकार है तथा भूमि के पूर्ववर्ती खातेदारो से बऐवजाने प्रतिफल की राशि जवाब देहन्दागण उक्त भूमि खरीद करते हुये बैचाननामा पंजीबद्ध करवाया एवं मौके पर कब्जा प्राप्त किया था। इस प्रकार से वक्त खरीद से ही भूमि जवाब देहन्दागण के हक अधिकार में चली आ रही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठे व येवूनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये है। साथ ही जवाब देहन्दागण पर पुलिस के जरिये कब्जा कर लेने बाबत भी झूठे कथन उल्लेखित किये है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये है। बल्कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 191 का जवाब देहन्दा चौनाराम रेकर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अजनबी व्यक्ति के रूप में तृतीय पक्षकार किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये है। साथ ही जवाब देहन्दागण पर जबरदस्ती कब्जा कर लेने के झूठे आरोप

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

लगाये है तथा जवाब देहन्दागण के पक्ष में किया गया बैचान भी विधिक है। जवाब देहन्दागण पर पुलिस के जरिये कब्जा कर लेने बाबत भी झूठे कथन उल्लेखित किये है। साथ ही सायलान ने अपने आप को असीम क्षति होने एवं वाद बाहुल्यता होने के कथन भी झूठे उल्लेखित किये है। इस प्रकार से सायलान जवाब देहन्दागण के विरूद्ध घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 में वर्णित कथन कतई असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। मौके पर सायलान या उसके पिता का कभी भी किसी भी प्रकार से कब्जा काश्त व हक अधिकार नही रहा था न ही वर्तमान में है। सायलान ने प्रार्थना पत्र पेश करने की गरज से जवाब देहन्दागण पर इस पद में झूठे आरोप लगाये है। बल्कि इस प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 191 का जवाब देहन्दा चौनाराम रेकर्डेड खातेदार है जिसके विरूद्ध अजनबी व्यक्ति के रूप में तृतीय पक्षकार किसी भी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है। ऐलानिया धमकी देने से सम्बन्धित आरोप जवा देहन्दागण पर झूठे लगाये गये है। उक्त तथ्यो के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 में वर्णित कथन पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। समस्त तथ्यो व परिस्थितियो व दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में नही होकर जवाब देहन्दागण के पक्ष में है। यदि इस प्रकरण में किसी भी प्रकार से स्थगन जारी किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी जवाब देहन्दागण को होगी। इसलिए भी सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि सायलान की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

बहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण/प्रार्थीगण की ओर से अपने पक्ष में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये–

1- THE RAJASTHAN REVENUE DECISIONS 1991 (Larger Bench) Bagga Vs Surendra Singh

हमनें विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः–

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>**ः– वाद–पत्र, हस्तगत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में अपंजीकृत दस्तावेज यथा कथित [illegible] दिनांक 02/07/2003 के आधार पर घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधि. 1955 वाद प्रस्तुत कर [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हैं। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2069-2072 ग्राम हुनावास कलां में अंकित नोट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं 191 में ना. स. 334 से जरिये बेचान अप्रार्थी सं 1 का 2/3 हिस्सा एवं ना. स 336 के द्वारा उगमसिंह पुत्र श्री छैलसिंह के शेष 1/3 हिस्सा जरिये बेचान अप्रार्थी सं 1 के नाम दर्ज हुआ। अतः अप्रार्थी सं. 1 वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है जो कि अप्रार्थी को जरिये पंजीकृत बेचाननामा प्राप्त हुई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह कथन किया है कि सायलान बेचान इकरारनामा दिनांक 2/7/2003 के आधार पर राजस्व न्यायालय से किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार सायलान को इस इकरारनामें की पालना हेतु सिविल न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए थी। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के उक्त कथन का खंडन भी नहीं किया है। अतः मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण द्वारा अपंजीकृत इकरारनामें के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि अप्रार्थी जरिये पंजीकृत बेचाननामा के द्वारा वादग्रस्त आराजी में बतौर खातेदार दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **<u>सुविधा का संतुलन</u>** :- चुंकि प्रथम बिंदू प्रार्थी के विरूद्ध साबित हुआ है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर पिछले 17 वर्षो से अपना कब्जा काश्त होने के कथन किये है परन्तु उक्त कथन को साबित करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के वादग्रस्त आराजी पर उसके कब्जे के आउट ऑफ पजेशन होने के कथन किये है। साथ ही चुंकि अप्राथी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में निहित है न कि प्रार्थी के पक्ष में। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होता है।

3. **<u>अपूरणीय क्षति</u>** :- चुंकि दोनो बिंदू प्रार्थीगण के विरूद्ध साबित हुए है। प्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित होता हो कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में जारी नहीं की गई तो उसे किस प्रकार से अपूरणीय क्षति होगी ? साथ ही अप्रार्थी वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदार है। यदि अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो उसे अपने खातेदारी अधिकारों के उपयोग/उपभोग से महरूम होना पड़ेगा जिससे निश्चित ही अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः यह बिंदू भी प्रार्थी के विरूद्ध [illegible] होता है।

अतः उपर्युक्त बिं[illegible] हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भली भांति साबित नहीं होने व सारहीन होने से अस्वीकार किया जाना विधि-संगत एवं उचित रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रार्थीगण के पक्ष में भली–भांति साबित नहीं व सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:38 IST
Reason: SelfAttested